

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4852
01 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

जलकृषि बीमा को बढ़ावा देना

4852. श्रीमती हिमाद्री सिंह:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) फरवरी, 2025 तक मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल कितनी निधि प्रदान की गई है और व्यय की गई है;
- (ख) क्या सरकार ने जलकृषि बीमा को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने सुरक्षित मत्स्य उत्पादन हेतु सुरक्षा और गुणवत्ता प्रणाली अपनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई), (ii) फिशरीज़ एंड एकाकल्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फंड (एफआईडीएफ), (iii) प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसवाई), (iv) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, (v) अवसंरचना विकास निधि, (vi) डेयरी विकास, (vii) राष्ट्रीय गोकुल मिशन, (viii) पशुधन जनगणना और आईएसएस, (ix) राष्ट्रीय पशुधन मिशन और (x) सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी गतिविधि शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, इन योजनाओं के अंतर्गत 23 मार्च, 2025 तक 5113.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई और देश भर में विभिन्न गतिविधियों के लिए 3459.74 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मौजूदा प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई) के अंतर्गत प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (पीएम-एमकेएसवाई) नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना को वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक चार वर्षों की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय पर कार्यान्वित कर रहा है। पीएम-एमकेएसवाई का घटक 1-ख जलीय कृषि किसानों को 4 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र तक के फार्म साइज़ के लिए बीमा की खरीद के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करता है।

'एकमुश्त प्रोत्साहन' (वन टाईम इनसेनटिव) जलीय कृषि फार्म के जल विस्तार क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर 25000 की सीमा के अधीन प्रीमियम की लागत के 40% की दर से प्रदान किया जाता है। एक किसान को 4 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र के फार्म साइज़ के लिए अधिकतम प्रोत्साहन 100,000 रुपए तक है। फार्म्स के अलावा अन्य गहन जलीय कृषि जैसे कि केज कल्चर, री-सर्कुलेटरी एकाकल्चर सिस्टम (आरएएस), बायो-फ्लोक, रेसवे आदि के लिए देय प्रोत्साहन प्रीमियम का 40% है। देय अधिकतम प्रोत्साहन 1 लाख रुपए है और अधिकतम पात्र इकाई आकार 1800 मी३ है। 'एकमुश्त प्रोत्साहन' का उपरोक्त लाभ केवल एक क्रॉप यानी एक क्रॉप साइकल के लिए खरीदे गए जलीय कृषि बीमा के लिए प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला लाभार्थियों को सामान्य श्रेणियों के लिए देय प्रोत्साहन के 10% की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

(ग): पीएम-एमकेएसएसवाई का घटक 3, मापन किए जा सकने वाले मापदंडों के एक सेट के लिए मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों में वैल्यू चैन एफिशिएंसी, सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने के लिए निष्पादन अनुदान के रूप में मात्स्यिकी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। निष्पादन अनुदान की मात्रा है: (i) सूक्ष्म उद्यम के लिए, सामान्य श्रेणी के लिए कुल निवेश का 25% या, 35 लाख रुपए, जो भी कम हो, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए कुल निवेश का 35% या, 45 लाख रुपए, जो भी कम हो। (ii) लघु उद्यम के लिए, सामान्य श्रेणी के लिए कुल निवेश का 25% या 75 लाख रुपए, जो भी कम हो, और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला स्वामित्व वाले लघु उद्यमों के लिए कुल निवेश का 35% या 100 लाख रुपए, जो भी कम हो। (iii) ग्राम स्तरीय संगठनों और स्व सहायता समूहों (एसएचजी), मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) और सहकारी समितियों के संघों के लिए, कुल निवेश का 35% या 200 लाख रुपए, जो भी कम हो।
